③ शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation)

अनु० 23 — राज्य मानव के दुर्व्यापार (human trafficking) एवं बलात् श्रम (forced labour) पर प्रतिबंध लगायेगी और इसका उल्लंघन गैर कानूनी है और यह अपराध माना जायेगा।

अनु० 24 — राज्य 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को खतरनाक (Hazardous work) कार्यों में नियोजन पर प्रतिबंध लगायेगी। जैसे — खनन उद्योग, पटाखा उद्योग, कालीन (carpet) उद्योग आदि।

④ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to freedom of Religion) (अनु० 25 - 28)

अनु० 25 — व्यक्ति को धर्म के अंतःकरण और प्रचार - प्रसार (Propose) की स्वतंत्रता होगी। सिक्ख जैन और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का अंग माना जायेगा। कृपाण धारण करना सिक्ख धर्म का अंग होगा और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार बलपूर्वक और लालच के द्वारा किसी व्यक्ति का धर्मांतरण गैर - कानूनी है

अनु० 26 — प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, इसकी स्थापना और विधि - व्यवस्था की स्वतंत्रता होगी।

अनु० 27 — किसी धर्म के विकास के लिये व्यक्ति के द्वारा किये गये व्यय पर व्यक्ति को कर देने की बाध्यता नहीं होगी।

Scanned by CamScanner

अनु० 28 — राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी। राज्य से मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में होने वाली धार्मिक उपासना में भाग लेने की बाध्यता नहीं होगी।

(5) सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार

अनु० 29 — प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को अपना धर्म, अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि के संरक्षण का अधिकार होगा। राज्य अल्पसंख्यक समुदाय पर कोई अन्य भाषा संस्कृति और धर्म नहीं थोपेगी। राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में जाति, धर्म और भाषा के आधार पर किसी को नामांकन से वंचित deprive नहीं किया जा सकता।

अनु० 30 — प्रत्येक भाषायी एवं ~~सांस्कृतिक~~ धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। राज्य ऐसी शिक्षण संस्थाओं को सरकारी सहायता देने में कोई भेद-भाव नहीं करेगी।

(6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार —

अनु० 32 को डॉ० आम्बेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय की संज्ञा दी है। अनु० 32 के बगैर अन्य मौलिक अधिकार अर्थहीन हैं। अनु० 32 ही मौलिक अधिकारों को प्रवर्तनीय एवं न्यायसंगम बनाता है। मौलिक अधिकार के हनन

Scanned by CamScanner

की स्थिति में व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करेगा और न्यायालय उसकी जाँच करेगी। अगर न्यायालय यह पाती है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अवैध तरीके से हनन किया गया है तो वह मौलिक अधिकारों को पुनः स्थापित करवाने के लिये बाध्य है। यही वजह है कि अनु० 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार की संज्ञा दी जाती है। इनके लिये सुप्रीम कोर्ट निम्न-लिखित रिट (writ) जारी करती है—

(i) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeus Corpus)
(ii) परमादेश (Mandeimus)
(iii) प्रतिषेध (Prohibition)
(iv) उत्प्रेषण (Certiorari)
(v) अधिकार पृच्छा (Quo-Wairanto)

बंदी प्रत्यक्षीकरण — यह रिट सुप्रीम कोर्ट, कार्यपालिका और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने समक्ष सशरीर प्रस्तुत करने का आदेश देती है और अवैध पाये जाने पर गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का आदेश देती है।

परमादेश — यह रिट सुप्रीम कोर्ट वैसी स्थिति में जारी करता है जब कोई सार्वजनिक या अर्द्धसार्वजनिक (Quasi-Public) वैधानिक अधिकारी अपने कार्यों का निष्पादन न कर रहा हो। कोर्ट संबंद्ध अधिकारी को उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले दायित्वों के निर्वहन (Discharge) का आदेश देती है।

प्रतिषेध — यह रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट

Scanned by CamScanner

अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी करती है और उन्हे इस बात के लिये मना करती है कि वे वैसे मामलों पर कार्यवाही न करें जो उनके अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है

उत्प्रेषण — इसका शाब्दिक अर्थ "और अधिक सूचित कीजिए" है। इस रिट के माध्यम से कोर्ट किसी मामला में अधीनस्थ न्यायालय से सूचना एवं जानकारी प्राप्त करता है और उनके द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दिये गये निर्णय या आदेश को निरस्त करता है।

अधिकार पृच्छा — यह रिट सुप्रीम कोर्ट वैसे सार्वजनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी करती है जिसके बारे में यह संशय हो कि उसने अवैध तरीके से पद को प्राप्त किया है।

अनु० 32 में सुप्रीम कोर्ट उपरोक्त रिट जारी करती है। अनु० 226 में हाई कोर्ट भी उपरोक्त रिट जारी कर सकती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को छोड़कर देश के अन्य किसी न्यायालय को ऐसा रिट जारी करने का अधिकार नहीं है।

मौलिक अधिकारों का निलंबन (Suspension of Fundamental Rights)

अनु० 352 के तहत राष्ट्रीय आपात-काल लागू होने की स्थिति में अनु० 19 में प्रदत्त सभी स्वतंत्रताएं स्वत: स्थगित हो जाती हैं। राष्ट्रपति

Scanned by CamScanner

आदेश के द्वारा अन्य मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है लेकिन 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 में यह व्यवस्था की गई है कि अनु० 20 और 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होंगे।

मौलिक अधिकारों में संशोधन (Amendability in Fundamental Rights)

प्रारंभ से ही मौलिक अधिकारों में संशोधन एक विवाद का विषय रहा है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ केस, 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस, 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय को बदलते हुए आदेश दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस, 1973 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि संसद संविधान के मूल ढाँचा को क्षति पहुँचाये बगैर मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा संसद को संविधान में संशोधन का असीमित अधिकार प्रदान किया गया। मिनरवा मिल बनाम भारत संघ केस, 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम के उस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया जिसमें संसद को संविधान में संशोधन का असीमित अधिकार प्रदान किया गया था। कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद को संविधान के मूल ढाँचा में संशोधन का कोई अधिकार नहीं है,

Scanned by CamScanner

हालांकि कोर्ट ने संविधान के मूल ढाँचा की कोई परिभाषा नहीं दी। लेकिन कोर्ट के अनेक निर्णयों से ऐसा प्रतीत होता है कि मौलिक अधिकार का प्रावधान अनु० 14 एवं अनु० 19 संविधान का मूल ढाँचा है। अतः संसद अनु० 14 एवं अनु० 19 में कोई संशोधन नहीं कर सकती है।

Scanned by CamScanner